

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक : प. 1 (8) वित्त/साविलेनि/98

जयपुर, दिनांक : 17-05-2012

परिपत्र संख्या : 16/2012

आदेश

विषय : सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-III में संशोधन बाबत ।

राज्यपाल महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-III में निम्न प्रकार संशोधन करने के आदेश एतद्वारा प्रदान करते हैं :-

1. The existing entry at S.No.22 of Part-I - Financial Matters of Part-III of GF&AR shall be deleted.
2. The existing entry at S.No.3(ii) of Part-II - Contingent & Miscellaneous Expenditure of Part-III of GF&AR shall be substituted as under :-

S. No.	Nature of Power	Restrictions/Conditions	Powers			Remarks
			HOO	RO	HOD	
(ii)	Computer, software and I.T. Project.	1. As per policy and instructions of the Government. 2. Specific budget provision. 3. Purchases through DoIT&C/ RISE/NIC/NICSI.	-	-	Full powers	

आज्ञा से,




(उर्मिला जोशी)

संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधिनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर । 4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
7. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
8. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त । 10. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर ।
11. समस्त कोषाधिकारी 12. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
13. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर । 14. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
15. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
16. विधि रचना संगठन को भेजकर लेख है कि इस आदेश/परिपत्र का हिन्दी अनुवाद करवाकर इस विभाग को अर्बिलम्ब भिजवायें ताकि हिन्दी अनुवाद प्रेषित किया जा सके ।
17. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि वित्त (समन्वय) विभाग के आदेश संख्या प.17 (1) वित्त (समन्वय)/04 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें ।



संयुक्त सचिव